न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :— श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—201/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/201

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1. केसाराम पुत्र सुरताजी, 2. पांचाराम पुत्र सुरताजी, तमाम जातियान कलबी, निवासीगण दामण, तहसील बागोड़ा, जिला सांचोर (राज.)।		1. हरिसिंह पुत्र हडमंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी दामण, तहसील बागोडा जिला सांचोर (राज.)। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बागोड़ा, जिला सांचोर (राज.)।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा के प्रकरण संख्या 85/2022

उपस्थिति :—
1 श्री पारसमल बाराडा, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 23/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा के प्रकरण संख्या 85/2022 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील के अनुपस्थित ।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहंराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:48:56 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व धारा 128 एल.आर. एक्ट के उपबंद्धों के अनुसार सीमाज्ञान से संबंधित आवेदन तहसीलदार को पेश करना आवश्यक था तथा तहसीलदार द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करवाने के बावजूद भी कोई सीमा संबंधि चिन्ह को लेकर विवाद होता है तो उक्त प्रार्थना पत्र नियमानुसार पेश किया जाना चाहिए था। अन्यथा यह प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिले खारिज है। क्योंकि रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान के संबंध में आदेश या पैमाईश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं की है। उसके

23/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

सबूत में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय काबिले खारिज है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनवान पांचाराम बनाम मोडाराम वगैरह वाद संख्या 3/2016 का राजस्व वाद विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन के दौरान रेस्पोडेंट ने उक्त भूमि खरीद की है। जो धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तहत पत्थरगढी करवाने का पेश किया है। जबकि रेस्पोडेंट का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त रहा है न ही मौके पर कब्जा है। रेस्पोडेंट पुलिस के जरिये जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से पत्थरगढी का आदेश विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा जो सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश कर पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। जबकि मौके की स्थिति अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी विवादित है। मौके पर विवाद होने से अपीलांट्स व उनके भाईयों के बीच विवाद चल रहा है। जिसका वाद इसी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने से अभी निस्तारण नहीं हो पाया है। निस्तारण होने के बाद ही पक्षकारों के बीच हिस्सा तय होगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 हरिसिंह एक अजनबी केता है। जिनके द्वारा जबरन वादग्रस्त आराजी का दावा विचाराधीन रहते विवादित आराजी में से कुछ हिस्सा खरीद किया है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धान्त पारित किया है कि विचाराधीन दावे के दौरान किसी भी, आराजी को अजनबी केता द्वारा खरीद नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कर खरीद की जाती है तो धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। जबकि इस प्रकार कानून का घोर उल्लघंन कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा द्वारा किसी भी प्रकार का प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया है एवं न ही अधिनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करने का अवसर दिया है। जबकि भूमिधारी तहसीलदार को जवाब, साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था क्योंकि तहसीलदार द्वारा ही यह बताया जा सकता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी विवादित है या नहीं या सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है या नहीं लेकिन तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार का जवाब पेश किया एवं न ही उनको सुना गया। उनकी गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02.2024 में पैरा संख्या 4 में राजस्व रेकर्ड अनुसार मौजा बिजलिया में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.17 हेक्टर के पूर्वी माठ की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 1.39 हैक्टर के बीच विवाद बने रहने का उल्लेख उक्त प्रार्थना पत्र व बहस में किया है। अतः उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान सरहद मौजा दामण के खसरा नम्बरों के सीमाज्ञान का पेश किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरहद मौजा बिजलिया के खसरा नम्बरान के सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायोचित माना है। इस प्रकार दोनों दावों का अलग अलग निर्णय में गलत तथ्यों का उल्लेख कर निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय बागोड़ा द्वारा प्रकरण सं. 85/2022 बअनवान हरिसिह बनाम केसाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:48:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, बागोडा से न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

11, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जवाब लिया तथा न ही जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के प्रकरण संख्या 85/2022 दिनांक 21.02.2024 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार, बागोडा से मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट ली जाये तथा अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। उक्तानुसार निर्णय पारित होने तक वर्तमान मौका स्थिति दोनो पक्ष यथावत बनाए रखेगे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक .....03/8/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:48:56 IST
Reason: SelfAttested